"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 मार्च, 2003—चैत्र 7, शक 1925

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, पंडरिया

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का तीसवां) की धारा 5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) देखिये]

क्रमांक 495/वाचक-1/अ.वि.अ./2002.—प. पू. मुनिश्री मनोज्ञसागर जी म. सा. प्रधान एवं संस्थापक श्री बकेला चिंतामणी पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ न्यास पंडरिया एवं अन्य 14 न्यासीगण श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर मु. पो. पंडरिया, जिला कवर्धा (छ.ग.) ने म. प्र. लोक न्यास अधिनियम-1951 (1951 का तीसवां) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह श्री बकेला चिंतामणि पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ न्यास पंडरिया जिला कवर्धा छ. ग. के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 27 जनवरी, 2003 को विचार के लिये लिया जावेगा.

कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे यह सूचना लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अत: मैं, एस. पी. नवरत्न, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास पंडरिया ,लोक न्यास का पंजीकृत अपने न्यायालय में दिनांक 27 जनवरी, 2003 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्त्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/सुझावों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता लोक न्यास की संपत्ति का वर्णन)

1.	लोक न्यास का नाम और पता	-	श्री बकेला चिंतामणी पार्श्वनाथ जैन श्वेताम्बर तीर्थ न्यास, द्वारा-श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर मु. पो.-पंडरिया, जिला कवर्धा (छ. ग.).
2.	चल संपत्ति	-	11,111=00 रुपये (ग्यारह हजार एक सौ ग्यारह रुपये)
3.	अचल संपत्ति	-	निरंक.

एस. पी. नवरत्न,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.